बिहार सरकार

समाहरणालय, गया

(जिला प्रोग्राम कार्यालय, गया।)

पालनाघर (समाहरणालय परिसर)

महिला एवं बाल विकास निगम बिहार

विज्ञापन संख्या– 02/2025

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक–WCDC/1882/23 दिनांक 09.08.2023 द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत समाहरणालय परिसर, गया में पालनाघर के संचालन हेतु कंडिका 10 एवं 11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों (श्रम बल) के चयन का निदेश प्राप्त है।

पालना घर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रमबल का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के उक्त पत्र में पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर का एक–एक पद स्वीकृत है। उक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्र0 सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता/अर्हताएँ	मानदेय	अभियुक्ति
01	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	**शैक्षणिक योग्यता**–स्नातक उत्तीर्ण। **अनुभव**– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/ऑगनबाड़ी/प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का तीन (3) वर्ष का अनुभव। **उम्र– अधिकतम उम्र 40 वर्ष**	14,730.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।
02	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	**शैक्षणिक योग्यता**– बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट पास। बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। **उम्र– अधिकतम उम्र 40 वर्ष।**	11,640.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र (PDF फार्मेट) में दिनांक 05.03.2025 से 25.03.2025 तक मेल आई0डी0– dhewgaya@gmail.com पर भेज सकते है। चयन से संबंधित विभागीय प्रावधान एवं आवेदन का प्रारूप NIC Gaya के वेबसाईट https://gaya.nic.in पर देखा जा सकता है।

21/02/2025 21-2-25

जिला परियोजना प्रबंधक महिला एंव बाल विकास निगम, गया	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गया	उप विकास आयुक्त गया	जिला पदाधिकारी गया

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या.......................

1. आवेदित पद का नाम :–
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. माता का नाम :–
5. पिता / पति का नाम:–
6. आधार कार्ड नम्बर :–
7. पत्राचार का पता :–
8. स्थाई पता :–
9. श्रेणी :– सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐
10. मोबाईल नम्बर–
11. ई–मेल आईडी–
12. शैक्षणिक विवरणी :–(प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)

	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
मैट्रिक					
इंटर					
स्नातक					
अन्य					

13. कार्य अनुभव :–

क्र. सं	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी

14. संलग्न किए गए कागजातों की सूची :–

1		2	7
3		4	8
5		6	9

घोषणा :–उपर्युक्त सभी सूचना मेरी जानकारी के आधार पर सत्य हैं। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक–

स्थान--

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

13

राज्य में पालनाघर के संचालन हेतु मार्गदर्शिका

पृष्ठभूमिः— कामकाजी महिलायें जिन्हें अपने 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चों के देख–रेख करने वाला घर में कोई नहीं है, वैसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत राज्य में 100 इकाई पालनाघर के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है।

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं में महिलाओं को देय 35 प्रतिशत आरक्षण के परिणामतः नियोजन में महिलाओं की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि हुई है। फलतः कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पालनाघर संचालन की उपयोगिता बढ़ गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए पालनाघर को साधन संपन्न बनाते हुए, इसके प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा जून 2023 को इसके बजट पुनरीक्षण एवं संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, के अधिसूचना संख्या 10/म॰वि॰नि॰पा॰घ॰–02/23–1349 पटना दिनांक 28.06.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया है। योजनान्तर्गत पालनाघर के संचालनार्थ प्रतिवर्ष आवर्त्ती व्यय रू. 3,16,440(तीन लाख सोलह हजार चार सौ चालीस) तथा अनावर्त्ती मद में रू. 5,36,428(पाँच लाख छतीस हजार चार सौ अट्टाइस) अर्थात कुल रू. 8,52868(आठ लाख बावन हजार आठ सौ अड़सठ) की दर से प्रति पालनाघर के संचालन हेतु व्यय की स्वीकृति एवं संचालन हेतु पदों का सृजन किया गया है।

2. योजना का उद्देश्यः—

i. पालनाघर का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कार्यालय अवधि में डे–केयर की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि कामकाजी माताएँ अपने बच्चों की आवश्यक मातृत्व संबंधी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यालय कार्य सही तरीके से संपन्न कर सके।

ii. 5 वर्ष तक के बच्चों जिन्हें दिन के दौरान अपने घर से दूर देखभाल और पर्यवेक्षण की जरूरत होती है, को सामूहिक देखभाल प्रदान करना।

iii. प्री–स्कूल हेतु तैयार करना।

3. योजना का अभिकरणः—

- पालनाघर का संचालन वैसे सरकारी संस्थानों/कार्यालयों/उपक्रमों इत्यादि में किया जायेगा, जहाँ 25 अथवा उससे अधिक महिलाएँ नियोजित है।

4. पालनाघर की क्षमता एवं समयः—

i. प्रत्येक पालनाघर में 10 बच्चों के रखने की व्यवस्था होगी।

ii. पालनाघर की समय अवधि सामान्यतः प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.15 से 6.30 बजे तक होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद लाभार्थी माता जब तक अपने बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं चले जाए, तब तक पालनाघर बंद नहीं किया जाएगा।

iii. पालनाघर में डे–केयर की सुविधा प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिभावक के द्वारा बच्चे को खिलाने के लिए पका हुआ खाद्य पदार्थ/भोजन अनिवार्य रूप से पालनाघर के कर्मी को दिया जायेगा। उनके द्वारा दिया गया भोजन कर्मी द्वारा रूटीन के अनुरूप गर्म करके खिलाया जायेगा।

iv. लाभुक माताएँ यदि चाहे तो अपने बच्चें को आवश्यकतानुसा पालनाघर में आकर स्तनपान करा सकती है। स्तनपान कराने हेतु पालनाघर में स्थान चिन्हित् होगा।

v. संरचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास एवं बच्चों को प्री–स्कूल के लिए तैयार करना।

10. **श्रमबल संरचनाः–** पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर का 01 पद एवं सहायक क्रच वर्कर का 01 पद सृजित किया गया है। स्वीकृत पदों के लिये अहर्त्ताएँ निम्नवत् होगीः–

(क) क्रेच वर्करः– (महिला हेतु आरक्षित)

1. पद की संख्याः–1(एक)
2. शैक्षणिक योग्यताः– स्नातक उर्त्तीण।
3. अनुभवः– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आँगनबाड़ी/प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव।
4. उम्रः– अधिकतम 40 वर्ष।

(ख) सहायक क्रेच वर्करः– (महिला हेतु आरक्षित)

1. पद की संख्याः– 1(एक)
2. शैक्षणिक योग्यताः– बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट।
3. पद पर चयन हेतु बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगा।
4. उम्रः– अधिकतम 40 वर्ष

11. श्रम बल से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देशः–

i. पालनाघर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रम बल ही अनुमान्य होंगे तथा अहर्त्ताएँ एवं अन्य शर्त्ते कंडिका 8 की उप कंडिका में वर्णित है।

ii. राज्य मुख्यालय में संचालित पालनाघर के स्वीकृत श्रमबल का चयन नोडल विभाग/संस्थान द्वारा किया जा सकता है अथवा निर्धारित अहत्ताओं के अनुरूप मानव श्रमबल प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

iii. जिला मुख्यालय एवं पुलिस जिला मुख्यालय में संचालित पालनाघर के स्वीकृत श्रमबल का चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा अथवा निर्धारित अहत्ताओं के अनुरूप मानव श्रमबल प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

iv. विभिन्न स्तरों पर संचालित पालनाघर के कर्मियों के नियुक्ति हेतु संस्थान के प्रधान (जिला पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष एवं संबंधित सरकारी उपक्रम/संस्थान के प्रधान) नियोक्ता पदाधिकारी होंगें।

पटना

v. स्वीकृत श्रमबलों के विरूद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम–से–कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा ताकि किसी कर्मी द्वारा पद त्याग/निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले 01 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।

vi. सभी नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर किया जायेगा तथा नियुक्त कर्मियों को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित रहेगा।

vii. कार्यरत कर्मियों के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जायेगा।

viii. पालनाघर के लिए नियुक्त कर्मी पूर्णरूपेण पालनाघर के कार्यो के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तथा उनकी सेवा का उपयोग अन्य कार्य में नहीं लिया जायेगा।

ix. पालनाघर के कर्मियों की कार्य अवधि का विस्तार उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। कार्यमूल्यांकन हेतु नोडल विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें 02 लाभुक माताएँ शामिल रहेंगी। समिति के अनुशंसा के आलोक में कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

x. स्वीकृत श्रमबल के अलावा संबंधित नोडल संस्थान/जिला अपने स्तर से चाहें तो एक महिला कर्मी को पालनाघर के लिए बतौर पर्यवेक्षक (Supervisor) के रूप में पदस्थापित कर सकते हैं।

12. **कर्मियों की भूमिका**:– पालनाघर द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अनुरूप बच्चों के समुचित डे–केयर किया जाय, इस हेतु पालनाघर के लिए स्वीकृत दोनों ही कर्मियों के कार्य दायित्वों निर्धारित की जाती है, जो इस प्रकार होगा:–

(क) **क्रेच वर्कर की भूमिका** :–

i. पालनाघर में बच्चों की सुरक्षा एवं समुचित देखभाल क्रेच हेल्पर के सहयोग से करने की जिम्मेवारी पूर्णरूपेण से क्रेच वर्कर की होगी।

ii. पालनाघर में सुविधा के लाभ लेने वाले इच्छुक लाभार्थियों के प्रथम बार प्रवेश का निबंधन एवं प्रतिदिन बच्चों की प्रविष्ठी की इन्ट्री संबंधित पंजी में करना।

iii. बच्चों के निबंधन के समय बच्चों से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर निगम द्वारा उपलब्ध विहित प्रपत्र प्राप्त में अंकित करना तथा जानकारी के अनुरूप देखभाल करना।

iv. केस वर्कर निबंधित बच्चों का पहचान पत्र तैयार करने हेतु वांछित सूचनायें लाभुक अभिभावकों से प्राप्त करेंगी। बच्चों को पालनाघर में लाने एवं ले जाने के समय अभिभावकों को प्रदत्त पहचान पत्र की जाँच अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगी।

v. पालनाघर की सभी पंजियों का सही तरीके से संधारण करना।

vi. क्रेच हेल्पर के सहयोग से पालनाघर के बच्चों की देखभाल बच्चों के दैनिक रूटीन के अनुसार करना।

vii. बच्चों के आयु वर्ग के अनुरूप विभिन्न संरचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास करना एवं बच्चों को प्री-स्कूल के लिए तैयार करना।

viii. पालनाघर की समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना।

ix. पालनाघर में बच्चों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का नियमित रूप से प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर अविलंब दूर करना।

x. बच्चों की सुरक्षा का पूर्णरूपेण ध्यान रखना एवं खतरों से बचाव के लिए सदैव सक्रिय रहना। किसी भी परिस्थिति में बच्चा अकेला ना हो, इसे सुनिश्चित करना।

xi. क्रेच वर्कर पालनाघर में रहने वाले बच्चों में उचित व्यवहार करने की आदत विकसित करने का कार्य करेंगी, ताकि सभी बच्चे अच्छे तरीके से रह सके।

(ख) क्रेच हेल्पर की भूमिका :-

i. पालनाघर के कार्यवधि से पूर्व समुचित साफ-सफाई कर पालनाघर को बच्चों के लिए व्यवस्थित करना।

ii. बच्चों के माताओं द्वारा दिया गया भोजन गर्म करके बच्चों को रूटीन के अनुसार खिलाने का कार्य।

iii. बच्चों की साफ-सफाई एवं डाइपर बदलने का कार्य।

iv. पालनाघर के बच्चों की देखभाल बच्चों के दैनिक रूटीन के अनुसार करने में क्रेच वर्कर को सहयोग करेंगी।

v. बच्चों को हैंडवॉश तथा टॉयलेट उपयोग करने में सहयोग एवं निगरानी।

vi. बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना एवं खतरों से बचाव के लिए सदैव सक्रिय रहना। किसी भी परिस्थिति में बच्चा अकेला ना हो, इसे सुनिश्चित करना।

vii. बच्चों के खेलने, सोने के समय बच्चों की निगरानी करना।

viii. पालनाघर के सुचारू संचालन में क्रेच वर्कर के द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन।

13. क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर की सेवा शर्तें:-

i. क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर पदों पर नियोजन परियोजना आधारित अस्थायी प्रकृत्ति का होगा।

ii. नियोजन के समय उपलब्ध करायी सूचनाओं के गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

iii. मार्गदर्शिका में विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा 01 वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी, इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकरी द्वारा की जायेगी, जिसके आधार पर संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।

महिला विकास निगम, बिहार पटना

iv. मानव सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त करने की स्थिति में कर्मियों के परीक्ष्यमान अवधि में किए गए कार्य का मूल्यांकन संबंधित नोडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में नोडल संस्थान/कार्यालय द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई मानव सेवा प्रदात्ता एजेंसी द्वारा की जायेगी।

v. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होगे।

vi. सभी कार्यदिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी।

vii. सरकारी अवकाश में पालनाघर बंद होने के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा।

viii. पालनाघर की गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेवारी कर्मियों की होगी। पालनाघर के बच्चों से संबंधित जानकारी एवं बच्चों का फोटो किसी से भी साझा नहीं करेंगी।

ix. पालनाघर में बच्चों को रखने के लिए कर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा एवं लाभ बच्चों के अभिभावको से नहीं लिया जायेगा। इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।

14. पालनाघर में संधारित की जानेवाली पंजी निम्नवत् होगीः–

i. **निबंधन पंजीः–** पालनाघर में प्रथम बार प्रवेश हेतु आई लाभार्थी माताओं एवं उनके बच्चों के निबंधन हेतु निबंधन पंजी होगा। निबंधन के समय लाभार्थी माँ के सरकारी कार्यालय में कार्य करने से संबंधित दस्तावेज लेना अनिवार्य होगा।

ii. **बच्चों की उपस्थिति पंजीः–** प्रत्येक बच्चों के प्रतिदिन उपस्थिति की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से बच्चों के आने एवं जाने के समय के साथ बच्चों के उपस्थिति पंजी में किया जायेगा। बच्चों को पालनाघर में छोड़ते एवं वापस ले जाते समय लाभार्थी माता का हस्ताक्षर पंजी में लेना अनिवार्य होगा।

iii. **पालनाघर के कर्मियों की उपस्थिति पंजीः–** क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर द्वारा पालनाघर में आगमन एवं प्रस्थान के समय के साथ उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

iv. **आगंतुक (Visitor) पंजीः–** पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं पालनाघर की सुविधा प्राप्त करने वाली इच्छुक कामकाजी महिलाओं एवं लाभार्थी माताओं द्वारा feedback स्वयं आगंतुक पंजी में दर्ज किया जायेगा।

v. **भंडार (Stock) पंजीः–** पालनाघर में अनावर्त्तक मद से क्रय की गई सभी सामग्रियों की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से भंडार पंजी में की जायेगी। इस मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद से क्रय की सामग्रियों का स्टोक इन्ट्री भी अनिवार्य होगा। मरम्मत

vi. **बैठक की कार्यवाही पंजीः–** पालनाघर के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति के बैठक की कार्यवाही पंजी में अंकित की जायेगी।

15. नोडल कार्यालय एवं नोडल पदाधिकारी की भूमिकाः– पालनाघर जिस विभाग/सरकारी कार्यालय/संस्थान के परिसर में अवस्थित होगा, उसे नोडल माना जायेगा